UPRN120018552022

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर, कानपुर देहात।

वाद सं०–109/2022

लाभेशचन्द्र आदि बनाम कल्लू आदि।

दिनांक 18.11.2022

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग 2 मय शपथ पत्र 7ग 2 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण भूमि सं–245 ख रकबा 0.0150 हे० स्थित मौजा अमराहट पूर्व तहसील भोगनीपुर वर्तमान तहसील सिकन्द्रा जिला कानपुर देहात के पंजीकृत मालिक व स्वामी है जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज है और वे संक्रमणीय भूमिधर व काश्तकार हैं। प्रश्नगत स्थल जो कि वर्तमान समय में बशक्ल प्लाट है तथा वादीगण के अलावा उसका कोई भी हकदार या मालिक व स्वामी नहीं है मात्र वादीगण एक मात्र उसके मालिक व स्वामी व अधिकारी तथा काबिज व दखील है। प्रश्नगत स्थल जो कि गांव के आबादी में स्थित है जिसका प्रतिवादीगण से कोई वास्ता नहीं है और न ही उसके किसी भी दिशा में प्रतिवादीगण का मकान या कृषि भूमि इत्यादि ही स्थित है प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के प्रश्नगत स्थल पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण ने प्रश्नगत स्थल को उनको विक्रीत करने हेतु वादीगण से कहा था जिस पर वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को प्रश्नगत स्थल को विक्रीत करने से इंकार कर दिया था तो प्रतिवादीगण उस पर जबरन कब्जा करने की नियत रखने लगे तथा लगातार जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं। प्रतिवादीगण बहुत ही दबंग एवं प्रभावशाली व्यक्ति हैं। दिनांक 23.08.2022 को प्रतिवादीगण अपने साथ मजदूरों को लेकर आये तथा वादीगण के प्रश्नगत स्थल पर खोदा खादी करने लगे जिस पर वादीगण ने उनको ऐसा करने से मना किया तो वे पुनः वादीगण से कहने लगे कि अभी भी वादीगण के मना कर देने तथा शोर पर बहुत से लोगो के आ जाने के कारण प्रतिवादीगण भविष्य में वादीगण को कब्जा कर निर्माण कार्य करने की धमकी देते हुए चले गये। वादीगण को भय व आशंका है कि प्रतिवादीगण किसी भी छड़ वादीगण के प्रश्नगत स्थल पर जबरन शक्तिबल के आधार पर कब्जा कर सकते हैं ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के स्वामित्व व कब्जे वाले प्रश्नगत स्थल पर कब्जा करने से नहीं रोका गया तो वे गैर कानूनी तरीके से प्रश्नगत स्थल पर कब्जा कर लेगे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया न्यायहित में आवश्यक है, अगर ऐसा न किया गया तो शपथकर्ता व अन्य को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी माध्यम से संभव न होगी। अतः वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा दौरान वाद जारी करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 6ग 2 पर आपत्ति कागज संख्या 13क 1 मय शपथ पत्र 14

ग 2 प्रस्तुत करते हुए वादीगण के अधिकांश कथनों से इन्कार करते हुए कथन किया कि आराजी सं०– 245 स्थित मौजा अमराहट तहसील भोगनीपुर कानपुर देहात बड़ा नम्बर है खतौनी में आराजी नं०–245 क व ख दर्ज है परन्तु नक्शा किस्तवार में आराजी नं० –245 की एक ही आकृति बनी है आराजी नं०–245 क व ख के बीच बंटवारा की कोई लाइन नहीं पड़ी है उक्त आराजी के वादीगण और उत्तरदाता/शपथकर्ती के साथ अन्य अनेक सहखातेदार भी है उक्त सभी सहखातेदारों का नाम राजस्व अभिलेख कागजात सरकारी खतौनी आदि में दर्ज है। खतौनी को आपत्ति शपथपत्र का संलग्नक सं०–01 बनाया गया है परन्तु वादी ने उपरोक्त वास्तविक स्थिति को छुपाकर स्वयं अपने को संक्रमणीय भूमिधर कास्तकार बताकर तथा उत्तरदाता/प्रतिवादी का प्रश्नगत आराजी नं०–245 में कोई हक व हिस्सा न होने का झूठा कथन करके प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय में दाखिल किया है एवं झूठा शपथपत्र दिया है। आराजी नं० –245 क रकबा 0.2050 हे० में रकबा 0.0255 हे० की संक्रमणीय भूमिधर सहकास्तकार उत्तरदाता/शपथकर्ती है मौके पर शपथकर्ती के सरिया सीमेन्ट के पिलर बने खड़े हैं बाउन्डरी बनी है लकड़ी बाँस की झोपड़ी बनी है जिसमें शपथकर्ती का कृषि कार्य सम्बंधी सामान रखा जाता है तथा खूंटे व लिडोरी गड़े है जिसमें शपथकर्ती के जानवर बांधे जाते हैं। आराजी नं०–245 क रकबा 0.2050 हे० में से रकबा 0.0255 हे० रकबा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 02.04.2022 को सोनेलाल से क्रय किया है उक्त रकबा से सोनेलाल का नाम पृथक करके क्रेती शपथकर्ती राजेश्वरी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित है जिस पर शपथकर्ती का कब्जा है। वादीगण ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर यह मुकदमा दाखिल किया है। इस प्रकार दावा हाजा प्रथम दृष्टया चलनसार नहीं है।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कागज सं०–9 ग 1 उद्धरण खतौनी खाता सं०–0148 गाटा सं०–245 ख फसली वर्ष 1427–1432 की सत्यप्रति, कागज सं०– 10 ग 1 इन्तखाब खसरा की सत्यप्रति, कागज सं०–11 ग 1 स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया है।

प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कागज सं०–16 ग 1 उद्धरण खतौनी खाता सं०–0115 गाटा सं०–245 क फसली वर्ष 1427–1432 की सत्यप्रति दाखिल किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र 6 ग 2 के निस्तारण में तीन मुख्य बातों पर विचार किया जाना होता है।

1) प्रथम दृष्टया मामला
2) सुविधा का संतुलन
3) अपूर्णीय क्षति

अवलोकनीय है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष एक साम्यिक एवं विवेकिय अनुतोष है । इसकी मांग करने वाले पक्षकार को स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आकर विवादित संपत्ति पर प्रथम दृष्टया अपना स्वत्व एवं विधिक अधिपात्य प्रस्थापित करना होता है ।

हस्तगत प्रकरण को यदि ध्यान से देखा जाए तो विवादित सम्पत्ति जिसका खाता सं०–148 गाटा सं०–245 ख रकबा 0.0150 हे० है, जिसका स्वत्व एवं आधिपत्य वादीगण द्वारा उसमें निहित होना अभिकथित है। इसके समर्थन में वादीगण द्वारा खतौनी प्रपत्र सं० –9 ग 1 फसली वर्ष 1427–1432 की सत्यप्रति प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 23.08.2022 को निर्गत हुई है एवं खसरा प्रपत्र सं०–10 ग 1 की सत्यप्रति दाखिल किया गया है।

यदि उपरोक्त चर्चित कथनों एवं प्रतिवादीगण की आपत्ति को ध्यान से देखा जाए तो यहां वादीगण को यह प्रथम दृष्टया साबित करना है कि संदर्भित विवादित सम्पत्ति पर उसका प्रथम दृष्टया मामला बनता है , सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है एवं यदि उसे वांछित अनुतोष न दिया गया तो उसे अपूर्णनीय क्षति कारित होगी।

ध्यातव्य है कि वादीगण द्वारा इस विवादित सम्पत्ति के संदर्भ में इस स्तर पर ऐसे प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं जिससे संदर्भित विवादित सम्पत्ति का वादीगण में निहित होना पाया जाए। इस स्तर पर प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि उक्त संदर्भित विवादित सम्पत्ति पर उसका प्रथम दृष्टया मामला बनता है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अतः यदि उसे वांछित अस्थाई व्यादेश नहीं प्रदान किया गया तो उसे अपूर्णनीय क्षति कारित होगी।

इस प्रकार इस स्तर पर प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है। वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में बनता है । अतः वादीगण को वांछित अस्थाई व्यादेश नहीं प्रदान किया गया तो उन्हे अपूर्णनीय क्षति कारित होगी।तदनुसार प्रार्थना पत्र 6 ग 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ग 2 स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई व्यादेश दौरान विचारण वाद, वादीगण की प्रश्नगत भूमि सं–245 ख रकबा 0.0150 हे० जैसाकि उसकी भूगौलिक स्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, पर किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचन किये जाने वाद बिन्दु दिनांक 19/12/2022 को पेश हो ।

राशि तोमर
सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात।
UP ID NO.2540